

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री गोपाल लुहार पिता सोहन लुहार निवासी चामुंडा माता जी के पास दमामी गली मोड का निम्बाहेडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेडा (आसीन्द)

प्रकरण संख्या :- 162/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12-11-2025	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी अपने आवेदन-पत्र दिनांक 12.11.2025 को प्रथम अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से वांछित सूचना दिलाया जाने का निवेदन किया है।</li><li>अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेडा के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो कि प्रथम अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो वांछित सूचना के सम्बंध में नवीन आवेदन सम्बंधित प्रथम अपीलेंट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।</li><li>अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</li></ol> <p>निर्णय आज दिनांक 12-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(जसमीत सिंह संघु) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</p>	

